टेक्निकल एक्सपर्ट (डब्ल्यू.सी.डी.सी.) के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

बैठक तिथि 03.10.2015
बैठक स्थान– भूमि सुधार निगम, सभागार गोमतीनगर लखनऊ
उपस्थिति–संलग्न है

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस.एल.एन.ए. की अध्यक्षता में डब्ल्यू.सी.डी.सी. में कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञों की स्क्रीनिंग के उपरान्त आई.डब्ल्यू.एम.पी. के विविध घटकों का वार्षिक तथा मासिक कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध रूप से फील्ड स्तर पर उसे पूर्ण करने के सम्बन्ध में बैठक का अयोजन किया गया। बैठक में सर्वप्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि अभी तक स्क्रीनिंग के उपरान्त उपयुक्त पाये गये कुल 54 तकनीकी विशेषज्ञों को चिन्हित किया जा चुका है जिसमें से बदायूँ तथा गोण्डा में कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा बैठक में प्रतिभाग नही किया गया है।

बैठक के दौरान तकनीकी विशेषज्ञों से विभिन्न विषयान्तर्गत किये गये विचार विमर्श के क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक द्वारा दिये गये निर्देश निम्नवत् है–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय द्वारा सर्वप्रथम प्रतिभागी तकनीकी विशेषज्ञों को अवगत कराया गया कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. के समस्त कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने है। अतः सभी तकनीकी विशेषज्ञों को कंम्प्यूटर का पूर्ण ज्ञान होना नितान्त आवश्यक है यदि किसी भी विशेषज्ञ को इसमें दक्षता नही है तो एक माह के अन्दर आवश्यक ऑपरेशनल तकनीकी में दक्ष हों। भविष्य में समस्त कार्यों के अनुश्रवण में समस्त सूचनाएं ई–मेल, फेसबुक, वाट्सएप से आदान–प्रदान की जायेंगी। इसमें फोटोग्राफ का जीओटैग तथा कॉ–ऑर्डीनेट प्राप्त करने की जानकारी आवश्यक है।
2. प्रत्येक माह में तकनीकी विशेषज्ञों का फील्ड डे निर्धारित कर दिया जाए जिससे यह फील्ड में किये जा रहें कार्यों के पर्यवेक्षण के साथ उसका प्री–रनिंग–पोस्ट फोटोग्राफ्स भी प्राप्त कर एस.एल.डी.सी. को प्रेषित कर सकें।
3. समस्त तकनीकी विशेषज्ञ जनपद के प्रत्येक परियोजनाओं के विभिन्न कार्यक्रमों की कार्ययोजना 15 दिन के अन्दर तैयार कर एस.एल.डी.सी. को प्रेषित करेंगे।
4. योजना के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र में कुल गठित स्वंय सहायता समूहों में से क्रियाशील समूहों के संघों के गठन सम्बन्धित कार्यवाही करेंगे।
5. किनोवा, रागी तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु उपयुक्त फसलों के संस्तुत प्रजातियों का प्रदर्शन/उत्पादन पी.एस.एम.ई के अन्तर्गत पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रत्येक परियोजना क्षेत्र के दो–दो लाभग्राही वर्गों के फील्ड पर कराया जाना है जिसके लिए कार्यवाही 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित करेंगे। इसी मध्य क्षेत्र आधारित नकदी फसलों के उत्पादन पर बल दिया जाना है जिसके लिए फसल, फल, सब्जी को चिन्हित करते हुए लाभाग्राही वर्गों की चयनित सूची तैयार करेंगे।
6. समस्त तकनीकी विशेषज्ञ यह सुनिश्चित करेंगे कि पी.एस.एम.ई के अन्तर्गत किये जा रहें समस्त कार्यों का चयन हाईप्राइस वैल्यू रिर्टन के आधार पर किया जाय। फसलों की नई उन्नतशील बीजों का क्रय सुनिश्चित करायेंगे तथा इनोवेटिव टेक्निक की प्रयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की तकनीकी ज्ञान देंगे।

7. बायोमास में बहुत सारे उत्पाद है जिन पर कार्य करने पर बल दिया जाना आवश्यक है। इसके अन्तर्गत निर्धारित कार्यो को इस प्रकार से संयोजित करना है कि इससे ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना सुनिश्चित की जा सके। प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में बायोमास का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुये इससे सम्बन्धित कार्यों का अनुप्रयोग कराया जाये। शीघ्र ही इसके लिए प्रशिक्षण तथा उत्पाद के मार्केट की व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
8. उत्पादन प्रणाली एवं सूक्ष्म उद्यम के कार्यकलापों का चिन्हीककरण करते हुये क्षेत्र में चयनित प्रशिक्षण संस्था को उक्त कार्यकलापों के प्रशिक्षण देने का सुझाव दें साथ ही कार्य कलाप आधारित लाभग्राही वर्गो का चयन प्रशिक्षण से पूर्व ही कर लें।
9. आई0डब्लू0एम0पी0 के विभिन्न घटक के कार्यो को संतृप्त करने के लिये सुमेलीकरण नितान्त आवश्यक है। अतः क्षेत्र में कार्य कलापों के चयन के साथ ही लागत के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हेतु सम्बन्धित विभागों से सुमेलीकरण की कार्ययोजना तैयार कर धनराशि प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभाग से प्रयास किया जाये।
10. पी.एस.एम.ई. के अन्तर्गत कृषि उपकरणों का वितरण तथा कॉमन फेसिलीटेशन सेन्टर/कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना करते हुए उसमें कृषि उपकरण बैंक की स्थापना भी की जानी है। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही यथा– क्षेत्र का चयन, लाभाग्राही वर्गों का चयन, उपकरणों का चयन करते हुए 15 दिन के अन्दर सूची एस.एल.एन.ए. को उपलब्ध करायेंगें। यह कार्य प्रयोक्ता समूह के माध्यम से किया जाना है। यह सेन्टर प्रयोक्ता समूहों के मध्य प्रयोक्ता शुल्क तथा अन्य लाभग्राही वर्गों को किराये के आधार पर संचालित किया जायेगा ताकि इसका मेन्टीनेन्स सुनिश्चित हो सके।
11. तकनीकी विशेषज्ञों का मासिक एवं दैनिक कार्य निर्धारित किया जा रहा है जिसके अनुरूप विशेषज्ञों को दैनिक डायरी भरते हुए परियोजना प्रबन्धक से अवलोकित कराना होगा तथा यथा आवश्यक एस. एल.डी.सी. को प्रेषित किया जाय। समस्त विशेषज्ञ निर्धारित सूचना तथा तकनीकी कार्यों को यथा समय पूर्ण करेंगे।
12. समस्त तकनीकी विशेषज्ञ अपने संरक्षित स्मार्ट फोन के माध्यम से आई.डब्ल्यू.एम.पी. के फेसबुक, ई–मेल, वॉट्सएप से जुड़े रहेंगे।
13. वाटरशेड कमेटी स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं का चयन करते हुए उनका दर निर्धारित किया जा चुका है। विशेषज्ञ परियोजनावार, स्तरवार, चरणवार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु यथा आवश्यक परियोजना प्रबन्धक एवं प्रशिक्षण संस्थानों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।
14. डब्लू0सी0डी0सी0 के कार्मिकों द्वारा निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया गया
    - कतिपय जनपदों में डब्लू0सी0डी0सी0 के कार्मिकों का भुगतान नहीं हो सका है जैसे शाहजहांपुर, अम्बेडकरनगर, बलिया, श्रावस्ती एवं कानपुर देहात। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा नियमित वेतन भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया।
    - तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा अवगत कराया गया कि पीआईए द्वारा कार्य प्रभारी के माध्यम से वाटरशेड विकास कार्य कराये जाते है जिनमें उनकी कोई भी सहभागिता नहीं रखी जाती है जिससे तकनीकी विशेषज्ञों से मांगी गई सूचनायें भेजने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

➢ तकनीकी विशेषज्ञों यह भी अवगत कराया गया कि क्षेत्र भ्रमण आदि में उनको कोई भत्ता भी नहीं दिया जाता है।

उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाई किये जाने का आश्वासन दिया गया।

15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रत्येक परियोजना में एक आई0डब्लू0एम0पी0 आदर्श ग्राम के चयन एवं माह नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में आई0डब्लू0एम0पी0 सप्ताह मनाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गई।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्यालय– स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी
समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन परियोजना
परती भूमि विकास विभाग
एल्डिको कारपोरेट टॉवर, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दूरभाष– 0522–4005337, 4113437 ई–मेल sldcldwrlu-up@nic.in

पत्रांक– 740 /एस.एल.डी.सी./2015–16 दिनांक 10 अक्टूबर,2015

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष, एस0एल0एन0ए0/मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एंव जल प्रबन्धन परियोजना, 23 सी, गोखलेमार्ग, लखनऊ।
4. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, पाण्डुनगर, कानपुर।
5. संयुक्त निदेशक, शारदा सहायक कमाण्ड मुख्यालय, लखनऊ।
6. संयुक्त निदेशक, रामगंगा कमाण्ड परियेाजना, कानपुर।
7. समस्त उप निदेशक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
8. भूमि संरक्षण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
9. प्रशासनिक अधिकारी, एस0एल0एन0ए0, लखनऊ।
10. समस्त तकनीकी विशेषज्ञ, डब्लू0सी0डी0सी0, उ0प्र0।
11. गार्ड फाइल।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी